हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

54 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा

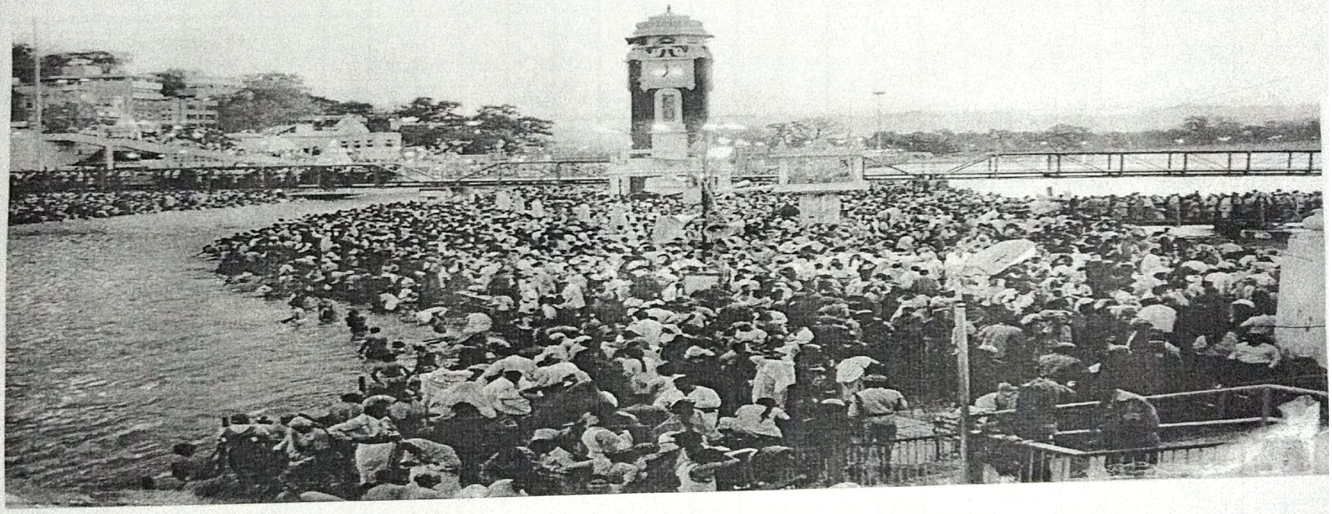

परिचालन विधि

दिनांक: 09.04.2012

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रशासक, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
11. अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुनिकीरेती, टिहरी गढवाल।
12. प्रशासक, नगर पंचायत, रानीपुर हरिद्वार।

संख्या : मीमो/प्रशा0–2(क)–22/79/2012–13 दिनांकः– 09/04/2012

विषय : **हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 54वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि से) दिनांक 09.04.12 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय ,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 54वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि से) दिनांक 09.04.2012 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनिल कुमार त्यागी)
सचिव

प्रतिलिपिः

अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर कार्यालय देहरादून को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

सचिव

(271)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की परिचालन विधि से 54वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डाः–

विषयः– डा0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर–91(क) मि0 जिसका भू–उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

डा0डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैधनाथ आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा सं0 91(क) मि0 में स्थित भूखण्ड पर जिसका भू–उपयोग ऋषिकेश महायोजना भाग (ब) के अनुसार कार्यालय (G) के अन्तर्गत् है, में आवासीय निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था चूंकि महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार उक्त भू–उपयोग में आवासीय निर्माण प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य किये जाने के कम में प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण बोर्ड की 51 बैठक के मद संख्या 51(04) पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय उपरान्त प्रश्नगत् प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–52(07) पर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण को प्राधिकरण के स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्देश के कम में मानचित्र का तकनीकी रूप से परीक्षण किया गया। आवेदक का भू–स्वामित्व स्पष्ट है। आवासीय के रूप में प्रस्तुत मानचित्र संशोधित भवन उपविधि–2007 के प्रावधानों के अनुसार सही पाया गया है। जोकि स्वीकृति योग्य है। प्रश्नगत स्थल के सामने सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी निर्मित है तथा स्थल के आस–पास पूर्व से ही आवासीय/आश्रम भवन निर्मित है। चूंकि उक्त स्थल का भू–उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है। उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भवन का निर्माण विशेष परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित भू–उपयोग के अन्तर्गत् अनुमन्य है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन विधि से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रशासक नगर निगम, हरिद्वार	अध्यक्ष न0पा0प0, ऋषिकेश	अध्यक्ष न0पं0मुनिकीरेती,	अध्यक्ष न0पं0रानीपुर, हरिद्वार

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून	उपाध्यक्ष ह0वि0प्रा0	जिलाधिकारी, हरिद्वार	09/04.12

तन्निव/o.s.
9.4.12